

बिहार सरकार ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या:- 2/अ0प्र0-1-99/2022 1786 /पटना, दिनांक :- 16.8.23

औरंगाबाद जिला अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत विभिन्न पथों के Ongoing/Maintenance कार्यों की राज्य गुणवत्ता समन्वयक, ग्रामीण कार्य विभाग के पत्रांक 643 दिनांक 12.12.2022 के माध्यम से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में निर्माणाधीन योजनाओं में पाई गई त्रुटियों/अनियमितता तथा अनुरक्षणाधीन पथों में अपेक्षित अनुरक्षण कार्य नहीं कराये जाने के कारण इन पथों को असंतोषजनक श्रेणी प्रदान किये जाने संबंधी आरोपों पर श्री ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल औरंगाबाद को विभागीय पत्रांक 2163 दिनांक 19.12.2022 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया गया परन्तु श्री श्रीवास्तव द्वारा इस संबंध में ससमय अपना स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया।

2. जाँच प्रतिवेदन में इंगित त्रुटियों/अनियमितता से स्पष्ट हुआ कि कार्य के पर्यवेक्षण में गंभीर लापरवाही बरती गई है। अतएव मामले की समीक्षोपरान्त उक्त अनियमितता के लिए श्री ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव, सहायक अभियंता को प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए उनके विरुद्ध अग्रेतर अनुशासनिक कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया। इसी क्रम में विभागीय अधिसूचना सं० 113-सहपठित ज्ञापांक-114 दिनांक 11.01.2023 द्वारा श्री श्रीवास्तव को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(1)(क) के तहत निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय अभियंता प्रमुख का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना का कार्यालय निर्धारित किया गया।

3. श्री श्रीवास्तव के विरुद्ध कार्य प्रमंडल औरंगाबाद/दाउदनगर अंतर्गत अंतर्गत दो पथों (i) T15-NH-1 Babhiandih to Patanwan NH-2 Via Susmar (BR02RP3R02) एवं (ii) MRL07 Aurangabad Patna Road to Makhra Via Mahuanian Kharati Mahuawan (BR02P3R11) में संपादित WBM Grade-III Gradation test अनुज्ञेय सीमा के बाहर एवं Filler Material की मात्रा Permissible limit से अधिक पाये जाने तथा अनुरक्षणाधीन दो पथों (i) L112-Munsi Bigha Punpun River Road to Dayalbigha (Track-112) (BR02R655) एवं (ii) L047-T04 to Kadiahi Khurd (BR02P2R04) का गुणवत्ता श्रेणी असंतोषजनक (U) पाये जाने संबंधी आरोपों पर आरोप पत्र गठित कर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 के तहत अधिसूचना सं० 207 सह-पठित ज्ञापांक 208 दिनांक 18.01.2023 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। इसके निमित्त मुख्य अभियंता-1, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं श्री अजीत कुमार, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता-1 का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

4. संचालन पदाधिकारी द्वारा पत्रांक 1586 दिनांक 02.06.2023 के माध्यम से उक्त विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया जिसमें श्री ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव, सहायक अभियंता के विरुद्ध गठित सभी आरोपों को अप्रमाणित पाये जाने का निष्कर्ष अंकित किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा उपर्युक्त निर्माणाधीन पथों में पाई गई त्रुटियों के संबंध में यह मंतव्य दिया गया कि कार्य के दौरान पायी गयी कमी को सुधारा जाना एक सामान्य प्रक्रिया है। कार्य को सुधारने के उपरान्त क्षेत्रीय प्रयागशाला, गया द्वारा निर्गत जाँच प्रतिवेदन भी उपलब्ध कराया

8

है जिसमें Stone metal Gr-III का report Acceptable एवं Filler material Acceptable अंकित है। NQM report को भी संलग्न किया है जिसमें विभिन्न चैनेजों पर WBM Gr-III metal का Gradation एवं Filler material की मात्रा को यथोचित पाया गया है। साथ ही दोनों पथों में जाँच प्रतिवेदन के आधार पर पायी जाने वाली त्रुटियों हेतु संवेदक के विरुद्ध कार्रवाई की गयी थी एवं संबंधित अभियंताओं के विरुद्ध आरोप का गठन किया गया था। उन त्रुटियों के निराकरण के उपरान्त दोनों पथों में विभागीय ज्ञापांक सं० 14/अ०प्र० - 01-12/2023 2178 एवं 2181 पटना, दिनांक 28.04.2023 के द्वारा सुधार कार्य कराये जाने के उपरान्त संबंधित संवेदक के विरुद्ध की गयी कार्रवाई को Set aside किया गया है। अनुरक्षणाधीन पथों के संबंध में संचालन पदाधिकारी द्वारा यह मंतव्य दिया गया कि अनुरक्षण मद में आरोपी के स्तर से कोई भुगतान की अनुशंसा नहीं की गई है। सभी अनुरक्षण कार्य सम्पन्न करा लिये गये हैं। साक्ष्य स्वरूप Geotag photographs संलग्न किया गया है।

5. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त उक्त जाँच प्रतिवेदन की विभागीय समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री श्रीवास्तव को प्रश्नगत आरोप से मुक्त करने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया है।

6. अतः उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल औरंगाबाद को प्रश्नगत मामले में आरोप मुक्त करते हुए उनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है एवं उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त किया जाता है।

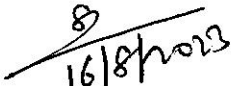
बिहार राज्यपाल के आदेश से


16/8/2023
(संजय दूबे)

विशेष सचिव

ज्ञापांक :- 2/अ०प्र०-1-99/22 1787 /पटना, दिनांक:- 16.8.23

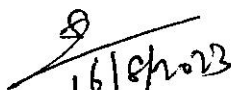
प्रतिलिपि :- अवर सचिव, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को दो प्रतियों में हार्ड कॉपी एवं सी.डी के साथ सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।


16/8/2023

विशेष सचिव

ज्ञापांक :- 2/अ०प्र०-1-99/22 1787 /पटना, दिनांक:- 16.8.23

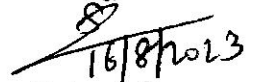
प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, बेली रोड, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


16/8/2023

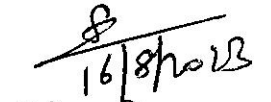
विशेष सचिव



ज्ञापांक:- 2/अ०प्र०-1-99/22 1787 /पटना/दिनांक:- 16.8.23
प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण
विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/बिहार,
पटना/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/ सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य
विभाग, बिहार, पटना/ संयुक्त सचिव (प्रभारी लेखा शाखा), ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार,
पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, औरंगाबाद/कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, औरंगाबाद/दाउदनगर/प्रशाखा पदाधिकारी-5/प्रशाखा
पदाधिकारी-12, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/ श्री ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव, सहायक
अभियंता, अभियंता प्रमुख का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


विशेष सचिव

ज्ञापांक :- 2/अ०प्र०-1-99/22 1787 /पटना/दिनांक:- 16.8.23
प्रतिलिपि :- माननीय उप मुख्य (ग्रामीण कार्य) मंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना को
सूचनार्थ प्रेषित।


विशेष सचिव

ज्ञापांक :- 2/अ०प्र०-1-99/22 1787 /पटना/दिनांक:- 16.8.23
प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय
वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


विशेष सचिव

